

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क०-15 / 11

संस्थापित दि० 27 / 01 / 2011

फाईल नं. 233504000382011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,

आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

राजा मोरले पिता सुखदास मोरले, उम्र 27 वर्ष,

जाति मेहरा, नि०ग्राम पुरानी बोड़खी, थाना आमला,

जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-13 / 01 / 2017 को घोषित)

01— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-354, 457 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 24 / 01 / 11 को 22:00 बजे फरियादी के आवासीय मकान में पुरानी बोड़खी में फरियादी कुं. रोशनी जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक का प्रयोग किया, कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी रोशनी के आवासीय मकान में प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।

02— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि रात्रि करीब 10 बजे की बात है वह बिसोने सिस्टर के घर से बर्तन साफ करके उसके घर आई दरवाजा खोलकर घर के अंदर गई दरवाजा पलटकर उसके कमरे में बिस्तर बिछाने लगी, उसी समय उसके मोहल्ले का राजा मोरले दरवाजा धकाकर अन्दर घुस आया उसे अकेला देखकर बोला कि वह उससे प्यार करता है उसने मना किया कि वह किसी से प्यार नहीं करती तभी राजा ने उसे हाथ पकड़ लिए व उससे जबरदस्ती किस (चुम्मा) करने लगा व

उसकी छाती दबाने लगा, वह उससे छूटकर बाहर भागी व चिल्लाई उसी समय उसका भाई कंचन आ गया, उसके भाई ने उसे डांटा तब राजा मोरले भाग गया, घटना उसके पड़ोस में रहने वाली भाभी आशा को बताया और डर की वजह से भाभी आशा के घर ही रुकी, रात्रि होने व डर की वजह से रिपोर्ट को नहीं आई। सुबह होने पर रिपोर्ट को आई।

03— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/11 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 456, 354 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 26/01/11 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-3 बनाया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 4 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1— “आपने दिनांक 24/01/11 को 22:00 बजे फरियादी के आवासीय मकान में पुरानी बोडखी में फरियादी कुं. रोशनी जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक का प्रयोग किया?”

2— “ आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी रोशनी के आवासीय मकान में प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण

06— अभियोजन साक्षी सरजेराव (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 25/01/11 को रोशनी मेहरा पुत्री घुड़िया निवासी पुरानी बोडखी, आमला द्वारा अभियुक्त राजा मोरले के विरुद्ध धारा 354, 456 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 लेखबद्ध की गई है। किन्तु प्रकरण में स्वयं फरियादी रोशनी न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्योंकि फरियादीनी ही घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और वही साक्षी यह स्पष्ट कर सकती थी कि घटना उसके साथ किस व्यक्ति ने की है। फरियादी रोशनी की साक्ष्य पेश न करने के कारण सहायक उप निरीक्षक सरजेराव के द्वारा लेखबद्ध की गई प्र0पी0 2 की रिपोर्ट प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

07— अभियोजन साक्षी एस0आर0 यादव (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 26/01/11 को प्रार्थिया रोशनी की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र0पी0 3 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27/01/11 को गवाहों के समक्ष आरोपी राजा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 4 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थिया रोशनी गवाह आशा, कंचन के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और स्वयं फरियादी रोशनी की साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस गवाह के द्वारा बनाए गए स्वतंत्र साक्षीगण आशाबाई (अ.सा.1), साक्षी कंचन (अ.सा.4) ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से घटना घटित हुई हो यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

08— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के आवासीय मकान में पुरानी बोडखी में फरियादी कुं. रोशनी जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक का प्रयोग किया और उर्पयुक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी रोशनी के आवासीय मकान में प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

09— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के आवासीय मकान में पुरानी बोडखी में फरियादी कुं. रोशनी जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक का प्रयोग किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी रोशनी के आवासीय मकान में प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त राजा मोरले को भा0द0वि0 की धारा-354, 457

के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

11— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०